न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 14/2016

श्री रज्जाक पुत्र श्री हसनबक्ष जाति लुहार मुसलमान निवासी–गोविन्दगढ़ रोड़ पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——————

उपस्थित :–

1. श्री एन.एस. राजावत वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 30.09.2016

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2072 में श्री रज्जाक पुत्र श्री हसनबक्ष जाति लुहार मुसलमान निवासी–गोविन्दगढ़ रोड़ पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर ने ग्राम पीसांगन के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 2867 किस्म आबी 3 तालाबी में से 93 वर्ग मीटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान व चारदीवारी निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 8/2016 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.03.2016 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर हुए अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर निर्माण सामग्री जब्त कर नीलाम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 29.03.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित खसरा नम्बर 2867 के वर्किंग खसरा नम्बर 1691 तथा साबिक खसरा नम्बर 2120/3 रहे है उक्त साबिक खसरा नम्बर 2120/3 के साथ अन्य खसरा नम्बर को सम्मिलित करते हुए जिलाधीश अजमेर के आदेश क्रमांक 7064 दिनांक 05.11.1966 के तहत आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत पीसांगन को हस्तांतरित कर दी गई जिसके आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 09.11.1966 से ग्राम पंचायत पीसांगन के पक्ष में खातेदारी अंकित कर दी गई। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत पीसांगन द्वारा सर्वोच्च बोली लगाने पर अपीलान्ट एवं उनके भाई द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

159

भूमि को सर्वप्रथम श्री नेमीचंद खाबिया पुत्र श्री चम्पालाल खाबिया जाति जैन निवासी पीसांगन के हक में विक्रय की जाकर संकल्प संख्या 17 दिनांक 22.12.1974 के आदेश संख्या 17 दिनांक 22.12.1974 जारी होकर आदेश संख्या 1 दिनांक 17.01.1975 से पट्टा विलेख श्री नेमीचंद खाबिया के पक्ष में जारी किया गया। इस प्रकार विधिवत नीलामी के तहत विक्रयशुदा भूमि को श्री नेमीचंद खाबिया से अपीलान्ट एवं उनके भाई के हक में विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2008 से भौतिक आधिपत्य प्राप्त कर स्वयं के खर्चे पर मकान का निर्माण करवाया गया जिसमें अपीलान्ट मय परिवार निवास कर रहे है। वकील अपीलान्ट का आगे कथन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रकरण का विस्तृत जवाब जरिये अभिभाषक दिनांक 18.02.2016 को मय दस्तावेजी साक्ष्य के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् दिनांक 04.03.2016 को वास्तविक स्वामी को पक्षकार मुर्तिब किये जाने का निवेदन किया गया, किन्तू अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना को न तो रेकार्ड पर लिया गया न ही किसी प्रकार का निर्णय किया गया जबकि विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण के विचाराधीन रहते किसी प्रकार का कोई विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो प्रकरण के अन्तिम निस्तारण से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र को सर्वप्रथम निर्णित किया जाना आवश्यक है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण का अन्तिम निर्णय करने से पूर्व पटवारी हल्का की साक्ष्य लिपिबद्व की जाकर प्रभावित पक्षकार को जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं कर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत पीसांगन के हक में जिलाधीश अजमेर के आदेश दिनांक 05.11.1966 के तहत भूमि हस्तांतरित की जाकर नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 09.11.1966 स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी ग्राम पंचायत के नाम अंकित हो जाने के पश्चात् भू संशोधन की कार्यवाही के उपरान्त कायम की गई जमाबन्दी में उक्त नामान्तरकरण को भी विलोपित कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर ग्रामवासियों द्वारा जरिये जनप्रतिनिधि जिलाधीश अजमेर के समक्ष शिकायत प्रार्थना पत्र पेश करने पर जिलाधीश अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/कआ/राजस्व/पी. जी. के. एस. 13/7528 दिनांक 14.03.2013 से नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 09.11.1966 की पालना वर्तमान राजस्व रेकार्ड में किये जाने के लिये तहसीलदार पीसांगन एवं उपखण्ड अधिकारी पीसांगन को आदेशित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 15.04.2013 को तहसील पीसांगन में प्राप्त हो जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना किये बिना तथा सम्पूर्ण तथ्यों की विधिवत जानकारी होते हुए आबादी भूमि के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलान्ट के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व एवं क्षेत्राधिकार के विपरीत जाकर सम्पादित की गई कार्यवाही के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र संख्या 1934/2016 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 11.03.2016 के तहत भी तहसीलदार पीसांगन व उपखण्ड अधिकारी पीसांगन को जिलाधीश अजमेर के आदेश दिनांक 14.04.2013 की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया गया। इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2016 की पालना किये बिना विधिक प्रावधानों के विपरीत आक्षेपीय आदेश पारित किये जाने

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलेक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

में विधिक त्रुटि की है। उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं क्षेत्राधिकार के विपरीत जाकर आवादी भूमि में दर्ज किये गये विधि विरूद्व प्रकरणों से व्यथित होकर संबंधित पक्षकारान एवं ग्राम वासियान द्वारा जरिये अभिभाषक एक विधिक नोटिस जिलाधीश अजमेर को दिनांक 17.02.2016 प्रेषित कर पूर्व आदेश दिनांक 05.11.1966 व दिनांक 14.04.2013 की पालना करवाये जाने का निवेदन किया गया, जिसकी प्रति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस को भी नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियत दिनांक 21.03.2016 से आगामी पेश 29.03.2016 को नियत की गई, किन्तु अपीलान्ट जरिये अभिभाषक नियत दिनांक 29.03.2016 को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए उससे पूर्व ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बेदखल किये जाने वावत् साईक्लोस्टाईल आदेश दिनांक 29.03.2016 पारित कर दिया। अपीलान्ट को न तो विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा न ही विधिक प्रावधानों के तहत साईक्लोस्टाईल आदेश पारित किये जाने के कोई प्रावधान विधमान है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में आबी–3 सिवायचक दर्ज है। ग्राम पंचायत पीसांगन द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 08.10.2012 के प्रस्ताव संख्या 28 में पारित निर्णय में विवादित खसरा नम्बर 2867 को आवादी विस्तार हेतु परिवर्तन करने की अनुशंसा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रस्ताव के आधार पर उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रत्येक खसरा नम्बर की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद विधिवत परीक्षण के जिन खसरा नम्बर के प्रस्ताव जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को अपने पत्र क्रमांक/उखपी/राजस्व/प्र.गां.क.सं./13/763 दिनांक 22.03.2013 से आवादी विस्तार हेतु भिजवाये गये है उनमें भी विवादित खसरा नम्बर 2867 का अंकन नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपीलान्ट वहैसियत अतिक्रमी विवादित भूमि पर काबिज है, अतः अपील निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक आबी–3 दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित खसरा नम्बर 2867 को अन्य खसरा नम्बरान के साथ जिलाधीश अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 7064 दिनांक 05.11.1966 से आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत पीसांगन को हस्तांतरित कर दी गई थी किन्तु भू संशोधन कार्यवाही के उपरान्त कायम की गई जमाबंदी में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई, मानने योग्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने कोई वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पीसांगन द्वारा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08.10.2012 में पारित प्रस्ताव संख्या 28 में लिये गये निर्णय अनुसार कस्बा पीसांगन की मुख्य चारदीवारी के बाद पूर्व पंचायत द्वारा कॉलोनियों का विस्तार कर जारी किए गये पट्टा भूमि सिवायचक खाते में दर्ज होने तथा पंचायत पीसांगन के नाम दर्ज नहीं होने से ग्राम पंचायत के नाम आबादी में दर्ज करवाने हेतु जिन खसरा नम्बरान की अनुशंसा की गई है उनमें विवादित खसरा नम्बर अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 28 में अंकित खसरा नम्बरान की रेकार्ड एवं

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

मौका अनुसार जांच करवा कर उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा जिन खसरा नम्बर को आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर कलक्टर महोदय को भिजवाये गये तथा कलक्टर महोदय द्वारा अपने आदेश क्रमांक 763 दिनांक 22.03.2013 में अंकित खसरा नम्बरान में विवादित खसरा नम्बर शामिल नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के नाम आरक्षित नहीं है। वकील अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के निवेदन पर मौका एवं रेकार्ड की पुनः जांच करवा कर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पीसांगन को आदेशित किया जाता है कि अपने आदेश की पालना में विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर भूमि का कब्जा राज लिया जावे।

आदेश आज दिनांक 30.09.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner